FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

जगदीश बनाम कन्हैया वगै0

किस्म मुकदमा— स्थानान्तरण प्रा0पत्र | नम्बर 52—सन्— 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2025	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी सैंथल के पद पर श्री मूलचंद लूनिया कार्यरत नहीं है। पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी सैंथल के पद पर अन्य अधिकारी कार्यरत है। जिस पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से अब यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विचाराधीन रखे जाने का कोई औचत्य नहीं रह गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त स्थानान्तरण प्रा0पत्र को खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। श्री मूलचंद लूनिया, उपखंड अधिकारी सैंथल के विरूद्ध यह स्थानान्तरण प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है वे वर्तमान में उपखंड अधिकारी सैंथल के पद पर कार्यरत नहीं है। अतः स्थानान्तरण प्रा.पत्र विचाराधीन रखे जाने का अब कोई औचित्य नही रहा गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेशिका की प्रति उपखंड अधिकारी सैंथल को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	SDO सैंथल को पत्रांक 2093 दिनांक 14/08/25 द्वारा निर्णय की प्रति प्रेषित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:05:52 IST
Reason: SelfAttested